बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भात के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में गलवार तिथि १६ दिसम्बर १९५८ को ११ बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

बिहार विधान-परिषद् से प्राप्त संदेश।

MESSAGES RECEIVED FROM THE BIHAR LEGISLATIVE COUNCIL.

SECRETARY : Sir, the following massages have been received from the Council :—

(1) That the Bihar Legislative Council at its meeting held on the 15th December 1958 agreed without any amendment to the Bihar Molasses (Control) (Second Amendment) Bill, 1958 which was passed by the Bihar Legislative Assembly at its meeting held on the 11th December 1958.

(2) That the Bihar Legislative Council at its meeting held on the 15th December 1958 agreed without any amendment to the Bihar Molasses (Control) (Amendment) Bill, 1958 which was passed by the Bihar Legislative Assembly at its meeting held on the 2nd December 1958.

विधान कार्य: सरकारी विधेयक:

LEGISLATIVE BUSINESS: OFFICIAL BILL:

बिहार लैंड रिफॉर्म्स (अमेंडमेंट) बिल, १९५८ (१९५८ की वि० सं० २३)।

THE BIHAR LAND REFORMS (AMENDMENT) BILL, 1958 (L. A. BILL NO. 23 OF 1958).

अध्यक्ष—इस बिल पर खंडशः विचार कल चल रहा था। अ कल ज ३ लिया जाय।

***Shri RAMANAND SINGH :** Sir, I beg to move :

That in proposed clause (*c*) of section 4, for the words "be recoverable, when so ordered by the Collector" occurring in lines 7 and 8 the words "be recoverable by the Collector" be substituted.

अध्यक्ष महोदय, सेक्शन ३ के (सी) में जो दिया हुआ है उसे में पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है:

"all arrears of revenue and cesses remaining lawfully due in respect of the estate or tenure on the date of vesting and all other amounts recoverable by the State Government from the

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

LEGISLATIVE BUSINESS : OFFICIAL BILL :

बिहार लैंड रिफॉर्म्स (अमेंडमेंट) बिल, १९५८ (१९५८ की विधेयक संख्या-२३)।

THE BIHAR LAND REFORMS (AMENDMENT) BILL, 1958 (L. A. BILL NO. 23 OF 1958).

SPEAKER : The question is :

That in proposed clause (*g*) of section 4, after the words "breach of the peace" occurring in line 18, the following words be added namely :—

"and shall inform the Government of the details within twenty-four hours".

The motion was negatived.

Shri TARA PRASAD BAKSHI : Sir, I beg to move :

That items (*iv*) and (*v*) of clause 3 of the Bill be deleted.

आइटम ४ और ५ का संबंध एक ही चीज से है। आइटम ५ में आइटम नं० ४ के खिलाफ अपील करने का प्रोविजन है। अगर आइटम ४ ही नहीं रहता है तब आइटम नं० ५ को रखने की कोई जरूरत हो नहीं रहेगी।

अध्यक्ष—आइटेम ४ तो सारे क्लॉज को अप्लाइ करता है और ऐसी हालत में वह कन्शीक्वेन्शियल कैसे होता है?

श्री तारा प्रसाद बक्शी—इसको समझाने के लिए मैं क्लॉज ४ एच को पढ़ कर सुना देता हूं जो इस प्रकार है।

अध्यक्ष—क्लॉज ४ से इसका क्या संबंध है? यहां पर क्लॉज ३ से आप आइटम नं० ४ और ५ को डीलीट करना चाहते हैं।

Shri TARA PRASAD BAXI : It is necessary to read clause 4 (*h*) which runs as follows :—

"The Collector shall have power to make inquiries in respect of the settlement or lease of any land comprised in such estate or tenure..........."

SPEAKER : You want the deletion of item nos. (*iv*) and (*v*) of clause 3 only. How clause 4 comes in ?

Shri TARA PRASAD BAXI : What I want to delete will be clear only after I shall read clause 4 (*h*) of the original Act which is as follows :—

"The Collector shall have power to make inquiries in respect of the settlement or lease of any land comprised in such estate or tenure........"

SPEAKER : But you are moving for the deletion of clauses (*iv*) and (*v*) of clause 3 of the Bill.

Shri TARA PRASAD BAXI : I want to delete the entire clauses (*iv*) and (*v*) of clause 3 of the Bill which seek to amend clause 4 (*h*) of the original Act. So, it is necessary to read clause 4(*h*) of the original Act.

Shri TARA PRASAD BAKSHI : It runs thus :

"The Collector shall have power to make inquiries in respect of the settlement or lease of any land comprised in such estate or tenure or the transfer of any kind of interest any building used primarily as office or cutchery for the collection of rent of such estate or tenure or part thereof, made or created at any time after the first day of January, 1946, and may, with the previous sanction of the State Government and after giving reasonable notice to the parties concerned to appear and be heard set aside any such settlement, lease or transfer, dispossess the person claiming under it and take possession of such property in the manner provided in clause (*g*) on such terms as may appear to the Collector to be fair and equitable if the Collector is satisfied that such settlement, lease or transfer was made or created with the object of defeating any provisions of this Act, or obtaining higher compensation thereunder."

Your will find, Sir, that in the original Act the Collector was entitled only to annul those transfers or leases which were made after the 1st of January, 1946. In cases of transfers or leases which were made before the 1st of January, 1946 the hands of the Collector were tied. He has no right to enquire into the genuineness or otherwise of transfers made before this date. This was also the view of the Hon'ble High Court, as will be clear if a reference is made to the case of Umesh Jha. But, Sir, the Bill under consideration is seeking to annul or undo the view of even the Hon'ble High Court. By this present clause it is sought that the Collector should have power to make enquiries in respect of all transfers irrespective of the date when it was made and after enquiry if he finds that the transfer was made after the 1st January, 1946, he may annul that transfer. So the Collector is being given power to examine each and every transfer and thereafter it is for him to be satisfied or not to be satisfied and then he will either annual or confirm the settlement. So, Sir, by this procedure you are putting the doors of litigation wide open. There will be no end to litigation. After the Collector has annulled a particular transfer an appeal might be filed to higher authorities under clause 5 and then from the first civil court he will go to the District Judge's court and then to the High Court. So there will be ceaseless litigation and untold harassment will be caused to the parties. So, I think it will be better if the scope

enquiry is limited to a certain date, as is the case in the original Act. That provision finds place in the present Act and there is no reason for the Government even to run counter to the judgement of the Hon'ble High Court even. If this amendment does not find acceptance with the Treasury Bench, the hard lot of the transferees and lessees will be rendered still harder. So I suggest that in order to limit the scope of litigation the limit to enquiry as laid down in the original Act, be adhered to by deleting items (*iv*) and (*v*) of clause 3. With these words I resume my seat, Sir.

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करते हुए दो-चार बातें कह देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मौजूदा विधेयक का जो रूप है उसमें कोई नये असूल का समावेश नहीं है। जो मौजूदा विधेयक है उसमें असूल यह है कि १९४६ के पहले जो ट्रांसफर हुए हैं वह सुरक्षित रहें और पहली जनवरी, १९४६ के बाद जो ट्रांसफर हुए उसको सेट एसाइड करने का हक कलक्टर को है। इसके लिए मेरे दोस्त की कोई एपतराज नहीं है। ४ में है :

"The Collector shall have power to make enquiries in respect of any transfer including the settlement of lease of any land comprising........made at any time after the first day of January, 1946"

इसका माने यह है कि इनक्वायरी सीमित रहे उन ट्रांसफर्स पर जो, १ली जनवरी, १९४६ के बाद हुए। हमने अपने नीयत को साफ कर दिया है, जो नीचे बी० में है। इन अलफाज को हमने छठवां लाइन से हटाकर ७ वां लाइन पर रख दिया है।

After the words " if he is satisfied that such transfer was made."

हमारे बिल में इस संबंध में कोई रिजरवेशन नहीं है कि १९४६ की पहली जनवरी के बाद जो ट्रांसफर हुए हैं वही एनल हो सकता है। लेकिन जहां तक इनक्वायरी करने की बात है उसके लिए कलक्टर को अधिकार दिया गया है कि वह पहले के केस को भी देख सकता है। मेरे दोस्त ने श्री उमेश झा के केस का हवाला दिया है मगर आप हाई कोर्ट के जजमेंट को देखेंगे तो मेरी बातों की पुष्टि उसमें पायेंगे। वह इस तरह है :

"The decision of this question in my opinion is bound to create absurdities and anomalies. It is held that the Collector has only to look to the date mentioned in the document for deciding as to whether any transfer would be annulled or not. The whole object of the Act may be frustrated by putting forward even bogus transfers alleging them to have been made prior to the above date."

कलक्टर को हक रहना चाहिए कि इसके पहले के ट्रांसफर्स को भी एकजामिन करे। दरअसल ट्रांसफर १९४६ के बाद ही हुआ है, या नहीं यह देखने के लिए

हुजूर, आगे चलकर उन्होंने कहा है कि हमको मजबूरी है। पार्लियामेंट या सदन ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वैसा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम पीछे जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जहां तक ट्रांसफर एनल करने का प्रावीजन

है वह सन् १९४६ के बाद जो ट्रांसफर हुआ होगा उसी को ऐनल करने की बात रहेगी और सन् १९४६ के पहले इंक्वायरी होना जरूरी है कि ट्रांसफर १९४६ के पहले हुआ है या बाद में हुआ है।

इन्हीं शब्दों के साथ में कहता हूं कि इस अमेंडमेंट को मानने से १९४६ की बात व्यर्थ जायगी।

श्री उमेश्वर प्रसाद—बैंक डेट की बात अगर होगी तो कैसे मालूम होगी ?

श्री विनोदानन्द झा—अभी जो पोजीशन है इससे सन् १९४६ के पीछे इन्क्वायरी भी हम नहीं करेंगे इसलिए पहला सेन्टेंस अगर हम नहीं हटाते हैं तो कलक्टर इंक्वायरी नहीं कर सकता है। इसलिए इंक्वायरी के लिए हम छूट देना चाहते हैं। इंक्वायरी से ही पता चलेगा कि जमीन किसके दखल में थी, रसीद किनके नाम से कटती थी वगैरह, वगैरह।

श्री तारा प्रसाद बख्शी—मंत्री महोदय के वक्तव्य से पता चला कि कोई ज्यादा तरमीम इसमें नहीं है। सिर्फ छठे लाइन में जो है कि :

"made at any time after the first day of january 1946".

इसको सातवें लाइन में घुसा कर रख दिया गया है। देखने में तो यह बहुत आसान मालूम पड़ता है लेकिन बात वैसी ही है जैसे :—

"सतसइया के दोहरे, अरु नावक के तीर,
देखन में छोटन लगें, घाव करें गम्भीर।"

देखने में तो यह है आसान लेकिन बहुत ही जुल्म करने वाला है, क्योंकि कलक्टर साहब इंक्वायरी करेंगे, तो वे बहैसियत जमींदार के इंक्वायरी करेंगे। इस ऐक्ट के मुताबिक कलक्टर जमींदार के रूप में खड़ा होता है और साथ-ही-साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी वह रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कलक्टर के हाथ में इक्वायरी कराना कि ट्रांसफर या लीज जेनुइन है या नहीं यह अनुचित है। जो जमीन लेने को खड़ा हो उसी के हाथ में इंसाफ करने को भी दिया जाय यह ठीक नहीं है। वह समेरीली इंक्वायरी करेगा और डिटेल्स में नहीं जायगा। इसलिए सिटीजन के राइट की सेफ्टी इसमें नहीं है। अतः मैं कहूंगा कि जहां ऐसा संदेह हो कि हो सकता है कि बोगस ट्रांसफर हो या एन्टिडेटेड हो, तो इसके बारे में जैसे और लोगों के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है इनके लिए भी वही होना चाहिए। लेकिन इस डिक्लेरेशन के साथ कि ट्रांसफर बोगस है, समरीली इतनी गहरी चीजों को डिसपोज ऑफ कर देना अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष—इसके बाद सिविल कोर्ट जा सकते हैं या नहीं ?

श्री तारा प्रसाद बख्शी—जा सकते हैं हुजूर, लेकिन जब सिविल कोर्ट जाना ही है तो इतनी लम्बी चौड़ी इंक्वायरी करने की जरूरत ही क्या है ?

अध्यक्ष—अगर इस प्रोसिड्योर से सच्ची बात निकल जाय तो हर्ज क्या है ?

श्री तारा प्रसाद सिंह—और सच्ची बात नहीं निकले तो सिविल कोर्ट जाना ही होगा तो फिर इंक्वायरी करने की जरूरत क्या है ?

SPEAKER : The question is :

That items (*iv*) and (*v*) of clause 3 of the Bill be deleted.

The motion was negatived.

अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि :

संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित खंड ३ इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित खंड ४ इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष—खंड ५ ।

Shri TARA PRASAD BAKSHI : Sir, I beg to move :

That in clause 5, the words and figures "subject to the provisions of sections 7A and 7B" be deleted.

अध्यक्ष महोदय, सेक्शन ७ए और ७ बी ओरिजनल ऐक्ट में नहीं थे । ये सब अमेंडमेंट सेक्शन ७ में लाये गये हैं । ए और बी हाट बाजार को रिलेट करते हैं । ७ए कहता है :

"7A. Nothing in sections 5, 6 and 7 shall be deemed to confer any right on the intermediary in respect of any land on which on or before the date of vesting of the estate or tenure the intermediary was holding a hat or bazar."

फिर इसके बाद ७ बी में है कि :

7B. Where on any land deemed to be settled with the intermediary under the provisions of sections 5, 6 and 7, a *mela* was being held by the intermediary on or before the date of vesting the right to hold such *mela* with effect from the date of vesting shall vest in the State and notwithstanding anything contained in any law the State shall have and the intermediary shall not, except with the consent of the State Government have the right to hold *mela* on such land."

ओरिजनल ऐक्ट में हुजूर ये सब नहीं थे । पीछे देखा गया कि हाट और बाजार जिस जमीन पर लगते हैं उसमें इन्टरमिडियरीज का क्या हक होगा ?

हाट बाजार जिस जमीन पर लगते हैं इन्टरमीडियरिज का क्या हक उस पर होगा इसको बताने के पहले मैं श्रीमान् का ध्यान ओरिजनल ऐक्ट के सेक्शन ६ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें है कि—

"On and from the date of vesting, all lands used for agricultural or horticultural purposes, which were in khas possession of an intermediary on the date of such vesting, including—

(*a*) (*i*) proprietor's private lands let out under a lease for a term of years or under a lease from year to year... shall, notwithstanding anything contained in this Act, be deemed to be settled by the State with such intermediary and he shall be entitled to retain possession thereof and hold them as a *raiyat* under the State having occupancy rights in respect of such lands......"

अध्यक्ष—शांति, शांति। यहां पर आपको यही न कहना है कि इन सबों को ऐक्ट के दायरे में नहीं रखा जाय? इन सारी बातों को तो आपको आगे कहना ही है। अगर अगले अमेंडमेंट में आप जीत जायेंगे तो यह कनसिक्वेन्शियल हो जायगा।

श्री विनोदा नन्द झा—मैं आपकी सिफारिश की ताईद करता हूं। उनको कनसेन्ट्रेट करना चाहिए ७ए और ७बी पर। हाउस का फैसला उनके पक्ष में हो जायगा तो आप-से-आप उनकी मंशा पूरी हो जायगी।

"not withstanding anything contained in this Act".

इन शब्दों के रहने की वजह से सेक्शन ५, ६ तथा ७ स्वतंत्र हो जाते हैं। सेक्शन ४ के जरिए एक मौलिक वसूल तय कर दिया गया है कि जो चीज जमींदारों को नहीं छोड़ा गया है वह स्टेट में वेस्ट कर गया है। सेक्शन ४ में हमने क्या चीज छोड़ा है उसको फिहरिस्त दे रहा हूं, हाट, बाजार वेस्ट करेगा स्टेट में वेस्टिंग के डेट से। सेक्शन ४ के अन्दर जमीन छोड़ दिया है लेकिन ५, ६ और ७ में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनकी वजह से सेक्शन ४ में जो मंशा थी वह कन्ट्रोल होगी। ७ और ८ में जो मंशा है उसको साफ करने के लिए ७ ए और बी है। ७ए और ७बी इसीलिए कनसिक्वेन्शियल अमेंडमेंट रहना चाहिए। मैं आपकी राय को मानता हूं।

अध्यक्ष—वे अगर नहीं मूव करें तो भी कोई हर्ज नहीं है।

SPEAKER ; The question is :

That in clause 5, the words and figures subject to the provisions of sections 7A and 7B" be deleted.

The motion was negatived.

प्रश्न यह है कि :
संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित खंड ५ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५ विधेयक का अंग बना।

Shri TARA PRASAD BAKSHI : Sir, I beg to move :

that in proposed clause (*c*) for the words " forming" in line 1, the word " which was" be substituted and the word " subsisting" in line 2 be deleted and for the word "is" in line 3, the word "was" be substituted.

अध्यक्ष महोदय, जैसा अगले बार मैंने कहा था देखने में तो छोटा लगता है लेकिन बहुत ही घातक है। इस सिलसिले में आपका ध्यान ओरिजनल ऐक्ट के सेक्शन ४ए की ओर आकृष्ट करना जरूरी है। ओरिजनल ऐक्ट के दफा ४ में कहा गया है कि :

4. **Consequences of the vesting of an estate or tenure in the State.**—Notwithstanding anything in any other law for the time being in force or in any contract, on the publication of the notification under sub-section (1) of section 3, or sub-section (1) or (2) of section 3A the following consequences shall ensue, namely :—

(*a*) Subject to the subsequent provisions of this Chapter, such estate or tenure including the interests of the proprietor or tenure holder in any building or part of a building comprised in such estate or tenure and used primarily as office or katchery for the collection of rent of such estate or tenure, and his interest in trees, forests, fisheries, jalkars, hats, bazars and ferries and all other *sairati* interest as aslo his interests in all sub-soil including any rights in mines and minerals, whether discovered or undiscovered, or whether being worked or not, inclusive of such rights of a leassee of mines and minerals, comprised in such estate or tenure (other than the interests of *raiyats* or under-*raiyats*) shall, with effect from the date of vesting, vest absolutely in the State from all incumbrances and such proprietor or tenure-holder shall cease to have any interests in such estate or tenure, other than the interests expressly saved by or under the provisions of this Act.

इसके अनसार स्टेट और टेन्योर का जो भी हिस्सा हो वह स्टेट में वेस्ट करता है और वह फ्री फ्रौम इनकम्बरेंस वेस्ट करता है। अब उस स्टेट के अन्दर बहुत से ऐसे पोरसन हैं जो इन्टरमीडियरिज ने मौरगेजी के हाथ में दिया था और मौरगेजी के पोजेशन में था। उस हालत में जैसे ही वेस्ट करता है ओटोमैटिकली फ्री फ्रौम इनकम्बररेंस वेस्ट करता है। जो भी इनकम्बरेंसेज या चार्जेज हैं वह पेनल हो जाते हैं। अगर ऐसा इन्टरप्रिटेशन दिया जाय कि मौरगेजी पोजेशन में जो भी पोरसन था वह स्टेट में ऐबसोल्यूटली वेस्टेड नहीं है तो मैं माननीय मंत्री से साफ पूछना चाहता हूं कि क्या वे किसी इन्टरमीडियरी के स्टेट को दो भागों में विभक्त करना चाहते हैं, एक भाग वह जिसने ऐबसोल्यूटली वेस्ट किया और दूसरा भाग वह जिसने ऐबसोल्यूटली वेस्ट नहीं किया। अगर माननीय मंत्री यह कहें कि सर्टेन पोरसन ने ऐबसोल्यूटली वेस्ट नहीं किया तो ४(ए) का मतलब ठीक नहीं होगा।

मेरा कहना है कि नोटिफिकेशन जैसे निकलेगा वैसे ही मौरगेजी खतम हो जाता है। सरकार को साफ-साफ बताना चाहिये कि इनटरमिडियर्र का पूरा इनटेरेस्ट स्टेट में वेस्ट करता

था या कुछ पोरशन। मेरा कहना है कि या तो सेक्शन ४(ए) स्टैच्यूट में रहना चाहिये या सरकार का संशोधन। यदि इस संशोधन को मान लिया जायगा तो ४(ए) के विरुद्ध हो जायगा।

इस लिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह अपने विचार पर पुनः विचार करे और मेरे संशोधन को मान लें।

श्री विनोदानन्द झा—यह देखना चाहिये कि मोरगेज लैंड का क्या स्टेटस था

भेस्टिंग के दिन। सेक्शन ४ उसको साफ कर देता है। भेस्ट के लिये सरकार ने कुछ कंडिशन्स, कुछ छूट, रखा है। ओरिजिनल ऐक्ट में सेक्शन ६ सी० जो है उसको संशोधन करना चाहते हैं।

अध्यक्ष—क्या इन्टरेस्ट था उसका ?

श्री विनोदानन्द झा—इन्टरमीडियरीज रेंट वसूल करते थे। कल्टिवेटिंग पोजेशन

जिसका था उन्हीं के पास जमीन छोड़ देंगे, सेक्शन ६ में एक्जम्पशन नहीं आता है लेकिन इस मामले में कोई मतभेद नहीं है। यह अमेंडमेंट में क्या करना चाहता हूं वह मैं बतला देना चाहता हूं। अगर ओरिजनल सेक्शन रहने देते तो क्या होता ? यहां यह नहीं देखना है कि मोर्गेज्ड प्रपर्टीज ए के जिम्मे है या बी के जिम्मे है, हम कन्सार्ड हैं सबसिस्टिंग मोर्गेज से। यदि आप ओरिजनल ऐक्ट रख देते हैं तो मोर्गेज लेकर यदि किसी दूसरे को जोतने के लिये दिया गया तो वैसी हालत में सब हवा हो जाता है।

अध्यक्ष—मोर्गेजी को कितना राइट है वह भी देखना होगा।

श्री विनोदानन्द झा—मोर्गेजी के विषय में हमारे दोस्त के दिमाग में दूसरी चीज

जमी हुई है और वह है छोटानागपुर में प्रचलित भूतबंधा मोर्गेज जहां पोजेशन भी ट्रांसफर होता है मोर्गेज के साथ-साथ।

अध्यक्ष—उसको छोड़िये।

श्री विनोदानन्द झा—मोर्गेजी के पोजेशन में जो है वहां कोई झगड़ा नहीं है।

हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी के यहां मोर्गेज्ड प्रोपर्टीज है और उसका एक्जेक्युशन हो गया है। उसके बाद उसने किसी दूसरे को जोतने के लिये जमीन दिया और तब प्रश्न यह उठता है कि कौन रेंट देगा ? इन्टरमीडियरीज जो इस तरह के हैं उनको अख्तियार नहीं रहेगा उससे रेंट वसूल करने का, हम रेंट डाइरेक्ट उससे लेंगे। जो खास कल्टिवेटिंग पोजेशन में है उसी से हम रेंट लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर आफ प्रोपर्टीज में दो तरह की चीजें होती है, एक रिकभरी और दूसरा रिडेम्पशन। जहां तक रिकभरी का सवाल है वहां इस तरह की बात नहीं हो सकती जहां तक रिडेम्पशन की बात है वहां ही इस तरह की बात उठ सकती है।

अध्यक्ष—मौगंजी को कंपेन्सेशन देना पड़ेगा चाहे किसी टर्म पर लैंड लिया ।

श्री विनोदानन्द झा—मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट से आप जो कह रहे हैं उसमें कंफ्लिक्ट कहां होता है । उसमें जो लिखा हुआ है:

"lands used for agricultural or horticultural purposes forming the subject matter of a subsisting mortgage."

यह ज्यादा साफ है न कि जो पहले था ।

श्री तारा प्रसाद बक्शी—अध्यक्ष महोदय, जो ओरिजनल बिल जिसे सेलेक्ट कमिटी में भेजा गया उससे और इस रिपोर्टेड बाइ दि सेलेक्ट कमिटी में कंफ्लिक्ट हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो बिल सेलेक्ट कमिटी में गया उसको देखें ।

श्री विनोदानन्द झा—हमलोगों ने लॉ डिपार्टमेंट का एडवाइस ले लिया है । अभी आपने कहा कि मौगंजी को क्या हक है कि दूसरे आदमी को पोजेसन दे मौगंजी को तो हक डकुमेंट के जरिये से मिला । मौगेंज डीड में है उसी के मुताबिक हमलोग चलें ।

श्री तारा प्रसाद बक्शी—हम भी चाहते हैं कि उस दलदल में नहीं फंसे, इसलिए हम एडवाइस करेंगे कि मौगंजी के बारे में आप चिन्ता नहीं करें । वह अपना रास्ता खुद निकाल लेगा । आप स्टेट गवर्नमेंट की चिन्ता करें । आपके लिए बेहतर होगा कि जितना पावना है वह सब आप अपने ऊपर ले लें । यह नहीं हो सकता है कि आप पावना को छोड़ दें और इस्टेट को ले लें । यह दोनों नहीं हो सकता है । अभी जो कन्फ्यूजन है वह ओरिजनल क्लॉज की वजह से और मौजूदा क्लॉज की वजह से हो रहा है ।

अध्यक्ष—क्लॉज में है :

"On the redemption of which the intermediary is entitled to recover khas possession thereof." I also find that there is some conflict in the amendment of the Minister.

Shri BINODANAND JHA : What is the amendment of the member. He wants that the word "is" be substituted by the word "was". This will enlarge the scope of the Bill and there will be further trouble and this word will take us back to unnecessary troubles. With this end in view I think that the present provision in the Bill should stand. The matter was thoroughly discussed in the Select Committee and it was thought proper to retain this clause.

SPEAKER : The question is :

That in proposed clause (c) for the words "forming" in line 1 the words "which was" be substituted and the word "subsisting" in line 2 be deleted and for the word "is" in line 2, the word "was be substituted.

The motion was negatived.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड ६, यथा संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—खंड ७।

---

*Sir, I beg to move :

That in proposed section 7A the words "within one year" occurring in line 5, be deleted.

यदि आप एक वर्ष की मियाद रख देते हैं तो लोगों को आप फ्रौड करने के लिये एक मियाद दे देते हैं। और नतीजा यह होगा कि होशियार लोग अपना कागज पत्र ऐसा ठीक कर लेंगे कि आपके कानून के चंगुल से निकल जायें और जो बेचारे सीधे सादे आदमी हैं वे फंस जायेंगे। यदि आप एक वर्ष की मियाद को हटा दें तो सभी इंटरमीडियरी के साथ एक ही तरह पेश आ सकेंगे और किसी को फ्रौड करने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री विनोदानन्द झा—एक वर्ष की बात प्रवर समिति ने इस विधेयक में रखा है।

मेरा ख्याल है कि यदि एक वर्ष की मियाद न रहे तो लोगों को फ्रौड करने का अधिक मौका मिलेगा और वे कहेंगे कि भेस्टिंग के एक दिन पहले भी यदि उनका हाट बाजार उनके कब्जे में था तो वे इस कानून से निकल जायेंगे। यह बात सही है कि किसी भी कानून को ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि जिससे निकलने का कोई गुंजाइश न रहे। लेकिन एक वर्ष की मियाद देने से इतनी बात जरूर है कि फ्रौड करने वाले को कठिनाई अधिक होगी।

श्री रामानन्द सिंह—मेरा तो विचार है कि एक वर्ष की मियाद देने से ही फ्रौड

करनेवाले को एक मौका दे देते हैं और इसका नतीजा यही होगा कि चतुर लोग आपके चंगुल से निकल जायेंगे।

श्री तारा प्रसाद बक्सी—अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी इजाजत हो तो दोनों के बातों

के बीच में एक बात रख देना चाहता हूँ।

On a study of clause 7 of the Bill it becomes certain that in the case of certain lands which were in the Khas possession of the intermediaries the same shall automatically be settled with them, not by any deed or conveyance, but automatically by the operation of the law, even if the State Government may not like to settle such lands with the intermediaries. That is the position in respect of lands in the Khas possession of the intermediaries.

The intermediary automatically acquires, under the operation of this Act, rights of occupancy.

अध्यक्ष—प्रोप्राइटर का प्राइभेट लैंड, हाट बाजार की जमीन नहीं है।

श्री तारा प्रसाद बक्शी—प्राइव्हेट लैंड है अगर जैसा कहा गया है क्लाज ६ के सब-क्लाज १ ए में :

"proprietor's private lands let out under a lease".

अध्यक्ष—इसमें हाट बाजार का लैंड नहीं आता है।

Shri TARA PRASAD BAKSHI : The word "including" in section 6 (1) connotes something more than those specified in the following sub-clauses "including" suggests the inexhaustive character of the provisions.

Clause 6(1) says :

"On and from the date of vesting, all lands used for agricultural or horticultural purposes, which were in *khas* possession of an intermediary on the date of such vesting, including —"

If the intermediary cultivates the land and grows crops on it for, say, 11 months in the year, the land automatically becomes his *raiyati* land.

अध्यक्ष—हाट वाला लैंड इसमें कैसे आता है ?

It is not for agricultural purposes.

श्री तारा प्रसाद बक्शी—हुजूर, प्रेजेंट ऐक्ट में तो कोई रुकावट नहीं है कि ११ महीने अगर उस जमीन पर खेती की जाती है और एक महीना हाट लगाया जाता है तो उस लैंड का कैरेक्टर बदल जाय। १० एकड़ जमीन में बकाश्त है और आधे एकड़ में अगर बाग है।

अध्यक्ष—लेकिन इसमें तो ऐग्रीकल्चर या हार्टीकल्चर का सवाल नहीं है।

श्री तारा प्रसाद बक्शी—ऐसी जमीन जिसमें सिर्फ बाजार है उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं लेकिन जिसमें ११ महीने खेती हुई और एक महीने बाजार या मेले लगे तो उससे वह जमीन रैयती छोड़कर दूसरी कैसे हो जायगी ?

नया क्लाज ७ ए पुराने क्लाज ६ के साथ कंफ्लिक्ट करता है। इसलिए इसके रखने की जरूरत ही नहीं है और न श्री रामानन्द सिंह को अपना अमेंडमेंट पेश करना जरूरी है और न मिनिस्टर साहब को उसको अपोज करना आवश्यक है।

श्री विनोदानन्द झा—मेला को और हाट बाजार को हमलोग अलग-अलग ट्रीट करते हैं। मेला हमेशा की चीज नहीं है और मेला हट जाने के बाद जमीन खेती के काबिल रहती है। हाट बाजार के केस में जमीन का कैरेक्टर बदल जाता है। उस जगह पर कोई दूसरा काम नहीं किया जा सकता है। इस लिए मेला और हाट बाजार दोनों में फर्क है।

एक वर्ष पहले का प्राव्हीजन इस लिए रख दिया है कि रनिंग हाट जो होगा इससे कव्हर किया जासकेगा क्योंकि रिटर्न जो हमारे पास आता है वह एक वर्ष पहले का ही

होता है। जो हाट रनिंग है उसी से प्रॉफिट होता है और उसी को इस सदन को छूना है। सेलेक्ट कमिटी में काफी बहस के बाद यह चीज निकली और तब इस प्राव्हीजन को रक्खा गया। इसलिए सेलेक्ट कमिटी की जो रिपोर्ट है उसमें परिवर्त्तन करने के पक्ष में मैं नहीं हूं।

SPEAKER : The question is :

That in the proposed section 7A the words "within one year" occurring in line 5, be deleted.

The motion was negatived.

Shri PRABHU NARAIN ROY : Sir, I beg to move :

That in the proposed section 7B the words "except with the consent of the State Government", occurring in lines 7 and 8, be deleted.

अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों को इस लिए हटाना चाहता हूं कि इन के रहने से कुछ ऐसा मतलब निकलता है कि किसी व्यक्ति विशेष के पक्षपात की बात हो। अगर सरकार चाहती है कि मेला को किसी के हाथ बंदोबस्त किया जाय तो ऐसा करना तो उसके हाथ में है। इसके लिए खास तौर पर इस तरह के प्राव्हीजन की क्या आवश्यकता है ?

श्री विनोदानन्द झा—बात यह है कि क्लाज ७ सी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं।

हाट बाजार जो बंदोबस्त करेंगे वह तो मुनाफे की चीज है।

श्री रामानन्द सिंह—हुजर, मेरा भी १३ क्लॉज पर जो अमेंडमेंट है वह इसी के साथ ले लिया जाय क्योंकि अगर यह नहीं मंजूर होगा तो मेरा फिर लीगली पेश नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष—ऐसी तो हमारे यहां परिपाटी नहीं है।

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, हाट और बाजार को तो हम ले लेना चाहते हैं और मेला लगाने के हक को तो हम ले लेना चाहते हैं लेकिन उसको लगाने के लिये किसी-किसी जगह पर छूट देने के लिये भी हम यहां पर प्रोविजन रखे हुए हैं। मेले बहुत तरह के होते हैं। कोई ताजिया का मेला लगाता है तो कोई आदमी शिवजी के लिये मेला लगाता है और वह मेला सिर्फ एक ही दिन के लिये होता है। अगर इस तरह के मेले को लेने से हमको कोई रेवेन्यू न मिले और सिर्फ इंतजाम करने का झंझट ही सिर पर आवे तो इस तरह के मेले को लगाने के लिये हम छूट दे सकते हैं। ऐसा नहीं होने से लोगों में त्राहि त्राहि मच जाने की संभावना है और इसलिये मेला लगाने के हक को तो हम ले लेते हैं लेकिन लगाने के लिये छूट किसी-किसी जगह पर देने के लिये एक प्रोविजन रखे हुए हैं।

अध्यक्ष—डिजर्विंग केसेज में मेला लगाने के लिये छूट देंगे ?

श्री विनोदानन्द झा—जी, यही इसकी मंशा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम एक दलदल में जाकर फंस जा सकते हैं और छोटे-मोटे मेले को लेकर केवल झंझट अपने सिर लेंगे लेकिन उससे कोई पब्लिक परपस नहीं सर्व होगा। हमको कंट्रोल करने की जवाबदेही तो आ जायेगी लेकिन उससे कोई रेवेन्यू हमको नहीं मिल सकेगा। इस तरह का जो मेला होगा उसको वहां के लोगों को लगाने के लिये हम जरूरी समझेंगे तो छूट दे देंगे। ऐसी हालत में इस संबंध में जो आशंका प्रगट की जा रही है वह बिलकुल निराधार है। अगर कहीं पर किसी तरह का नाजायज आार सरकार से हो जायेगा तो फिर यहां पर हमारे ४०० मालिक बैठे हुए हैं जो सवाल पूछ कर, डिबेट करके और नो कन्फिडेंस का मोशन लाकर हम पर दबाव डाल सकते हैं। कहीं-कहीं पर जरूरी समझा जायेगा तो मेला लगाने के लिये सरकार छूट भी दे सकती है, यही इसका मक्सद है: इस तरह से दोनों में फर्क है और इसी गरज से दोनों के दो तरह के प्रोविजन किये जा रहे हैं यानी हाट और बाजार को तो हम ले लेंगे लेकिन कहीं-कहीं पर मेला लगाने की छूट भी हम देंगे। इसके संबंध में मुझे यही कहना है।

SPEAKER : The question is :

That in proposed section 7B the words "except with the consent of the State Government" occurring in lines 7 and 8 be deleted.

The motion was negatived.

Shri JAGLAL CHOUDHARY : Sir, I beg to move :

That in proposed section 7B after the word "except" occurring in line 7, the words in case of *melas*, the proceeds of which have been dedicated to religious purposes and are being used in worship of certain deities from before the commencement of Bihar Act XXX of 1950 and such dedications are proved by documentary evidences, and in other cases, except" be inserted.

इस अमेंडमेंट पर मुझे बहुत-ज्यादा कहना नहीं है। अभी सरकार की तरफ से यह कहा गया है सरकार जहां पर जरूरत समझेगी वहां पर मेला लगाने की छूट लोगों को दे सकती है और ऐसा वह वहीं करेगी जहां पर वह उपयुक्त केस समझेगी मैं यह समझता हूं कि इस छूट देने की बात को सरकार के हाथ में न देकर कानून में ही रखना ज्यादा वाजिब होगा। जिस मेला को आमदनी धार्मिक संस्था, लड़कों के पढ़ाने या देवी-देवता की पूजा पर खर्च होती हो उसको सरकार न ले। उसको छूट देने का प्रोविजन कानून में ही रहे। ऐसा करने के लिये पक्का सबूत होना चाहिये कि बिहार लैंड रिफोर्म्स ऐक्ट, १९५० के लागू होने के बहुत पहले से हो कि उस मेले की आमदनी किसी मंदिर या मसजिद में पूजा करने पर या लड़कों को पढ़ाने पर खर्च होती है। इस संबंध में मुझे यही कहना था और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस निर्दोष संशोधन को वह मान ले।

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। भगवान का भोग कम में भी लग सकता है और बहुत ज्यादा में लग सकता है और लोगों में प्रसाद-वितरण करने का भी इंतजाम हो सकता है। मेरे छूट देने का यह मकसद है कि जिसमें सरकार को रेवेन्यू की कोई क्षति नहीं हो और ऐसा कोई प्रोविजन

भी न हो जाय जिससे सरकार को लेने के बदले मेला लगाने में देने की बात आये।
हमारा ख्याल हमेशा यह रहता है कि जन-सेवा भी हो और सरकार को कुछ आमदनी
भी हो जाय। इन्हीं दोनों भावों के बीच में मुझे चलना है और इन दोनों में से
हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्य के अमेंडमेंट को मानने
से लाचार हूं और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री जगलाल चौधरी—हम अपने संशोधन को वापस लेना चाहते हैं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

Shri RAMANAND SINGH: Sir, I beg to move:

That in proposed section 7B for the words "with the consent of the State Government" the words "in succeeding at the bid at the time of settlement of the same" be substituted.

अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा कानून है जिसके जरिए सरकार अपने हाथ में यह
हथकंडा रखना चाहती है और इसके जरिए सरकार किसी आदमी को तबाह कर सकती
है और किसी आदमी को फायदा उठाने के लिए इजाजत दे सकती है। इसलिए
यह बिल जितना रिवोलुशनरी हो सकता था उतना ही एक शब्द को जोड़कर इसे इसको
रिएक्शनरी बनाया गया है। मेरा कहना है कि मेरे इस संशोधन पर कोई विरोध
नहीं हो सकता है। पहले जो अधिकार व्यक्ति के हाथ में
है। पहले जो अधिकार व्यक्ति के हाथ में था उसको सरकार अपने हाथ में ले
रही है और इसी को नेशनालाइजेशन कहते हैं।

अध्यक्ष—आपका यह संशोधन इसके अनुकूल नहीं है।

श्री विनोदानन्द झा—यह इस क्लॉज में फिट नहीं करता है।

Shri RAMANAND SINGH: For the words "anything contained in any law the State Government shall have and the intermediary shall not" the words "in succeeding at the bid at the time of settlement of the same" be substituted.

अगर कोई इनटरमिडियरी हायस्ट बिडर होता है तो उसको मेला होल्ड करने का
अधिकार होना चाहिए।

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट ७ बी० में फीट नहीं करता

है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हाट, बाजार और मेला के सेटलमेंट की बात
७ सी में है और वहीं यह अमेंडमेंट यदि रखा जाय तो रेलिवेंट होगा। ७ बी
में मेथड और प्रोसीडियर ऑफ सेटलमेंट की बात है और यहां बिड की बात मौजूद
नहीं मालूम होती है।

अध्यक्ष—यह अमेंडमेंट आउट ऑफ ऑर्डर है। मैं आपको परमिशन देता हूं कि

आप इसे दुरुस्त करके ७ सी में यदि चाहें तो मूव कर सकते हैं। यद्यपि वह टाइम-
बार्ड होगा फिर भी हम आपको यह सुविधा दे सकते हैं।

श्री विनोदानन्द झा—मुझे भी इसके लिए कोई एतराज नहीं होगा। आप ७ सी

में इसे दुरुस्त करके मूव कर सकते हैं यदि चाहें।

(इस अवसर पर श्री रामानन्द सिंह ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)